Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उदयपुर में कनिष्ठ सहायक को 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

जयपुर, 10 नवम्बर/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर इकाई द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुये महेन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिक अतिरिक्त चार्ज ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत काट, पंचायत समिति सलूम्बर जिला उदयपुर को 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे खाते में मनरेगा कार्य के कुल भुगतान 10,560/रूपये आरोपी ने डलवाये थे तथा उसमे से 9000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है जो बाद में रिश्वत राशि 8000 रूपये लेने पर सहमत हुआ तथा यह धमकी दे रहा है कि यदि तू पैसा नहीं देगा तो इन्द्रा आवास योजना में भवन निर्माण स्वीकृति जारी नहीं करूंगा व स्वीकृति जारी करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहा है।

जिस पर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **महेन्द्र कुमार शर्मा** पुत्र श्री भगवान लाल शर्मा, उम्र 36, निवासी गांव ईडाणा पोस्ट ईडाणा तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर **हाल मूल पद कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त चार्ज ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत काट, पंचायत समिति सलूम्बर, जिला उदयपुर को 8 हजार रूपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।